कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 2800 /12–1, दिनांक, कालसी, 28.04. 2022

सेवा में,

जनरल मैनेजर,
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड,,
पी0एम0यू0 उत्तराखण्ड, पहली मंजिल,
क्रॉसरोड टेलीफोन एक्सचेंज परिसर, देहरादून।

विषय : **जनपद–देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क (एनओएफएन) ढलानी ग्राम पंचायत में ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाने हेतु 0.144 है0 वन भूमि का भारत संचार निगम लि0 को प्रत्यावर्तन । (online no. FP/UK/Others/39473/2019**

सन्दर्भ : सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या–420 / X-3-22/2(22)2022, दिनांक 27.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के स्तर से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त शर्तानुसार उक्त निर्माण कार्य के लिये रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं उसमें 10 वर्षों के रखरखाव पर व्यय की देय धनराशि आपके द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (है0 में)	दर प्रति वृक्ष	देय धनराशि (रू0 में)
1	रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं उसमें 10 वर्षों के रखरखाव पर व्यय	0.144	1610.00	161000.00

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–04 के अनुसार ₹ 1,61,000/- (एक लाख इकसठ हजार रूपये) का चालान जनरेट कर देय धनराशि को क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन में स्थानान्तरित/जमा करने का कष्ट करें।

अतः अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या अपने स्तर से 04 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण को विधिवत स्वीकृति हेतु लिखा जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

Survey173
Raju